सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-I **दिनांक: 23.04.2026**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला- पुणे,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
सासून अस्पताल के सामने,
स्टेशन रोड, पुणे-411001
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त,
पुणे शहर,
कमिश्नर ऑफिस बिल्डिंग,
साधु वासवानी चौक के पास, चर्च पथ, कैंप,
पुणे – 411001, महाराष्ट्र
ई-मेल: cp.pune@mahapolice.gov.in

विषय: अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में दस्तावेज संख्या 1271-2004 की रद्दीकरण एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में श्री गणेश मधुकर पवार, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 30.06.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री गणेश मधुकर पवार,
क्रम संख्या 20-1-8, गौरी हाइट्स,
फ्लॅट नंबर-101,अमृतवेल पार्क, केशवनगर, मुंधवा,
पुणे-411036, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पैतृक कृषि भूमि (गट नं. 9 से 14, हिस्से नं. 1 से 23, कुल 2 एकड़) के अवैध विक्रय के दस्तावेज संख्या 1271-2004 को रद्द करवाने एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु श्री गणेश मधुकर पवार निवासी क्रमांक 20-1-8, गौरी हाइट्स, फ्लैट नंबर 101 अमृतवेल पार्क, केशवनगर, मुंडवा पुणे, महाराष्ट्र 411036 के अभ्यावेदन दिनांक 30.06.2025 पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026

सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री गणेश मधुकर पवार, निवासी पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 30.06.2025 के अनुसार उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि (गट क्रमांक 9 से 14, हिस्से क्रमांक 1 से 23, कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़) को दिनांक 27.02.2004 को दस्तावेज क्रमांक 1271-2004 के माध्यम से पिन्नी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया है। अभ्यावेदन के अनुसार, उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति समुदाय की है, जिसके हस्तांतरण हेतु संविधान, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत कलेक्टर एवं ग्राम सभा की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, किंतु इस प्रकरण में ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विक्रय प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं तथा उन्हें न तो सूचित किया गया और न ही उनकी सहमति प्राप्त की गई, जिससे उनके वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 04.08.2025 को जिला कलेक्टर, पुणे को नोटिस जारी किया गया था, तथापि दिनांक 16.03.2026 तक आयोग को संबंधित प्राधिकारी से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में गंभीर शिथिलता को दर्शाता है।

सुनवाई तिथि को कार्यालय जिला कलेक्टर, पुणे महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री विद्युत जोशी एसडीओ और याचिकाकर्ता उपस्थित हुये।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर समय-समय पर विभिन्न पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है तथा अनेक फेरफार प्रविष्टियाँ एवं आदेश पारित किए गए हैं।

प्रकरण में यह भी परिलक्षित होता है कि संबंधित भूमि के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर कार्यवाही की गई है, किंतु इसके बावजूद विवाद का अंतिम निस्तारण नहीं हो पाया है। अभिलेखों में भूमि के स्वामित्व, उपयोग, हस्तांतरण एवं मुआवजा/प्रतिफल से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है, जिससे प्रकरण और अधिक जटिल हो गया है। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपत्तियाँ, अपीलें एवं शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं, जिन पर आंशिक रूप से कार्यवाही हुई है, परंतु समग्र समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

अतः संपूर्ण प्रकरण का गहन परीक्षण, सभी राजस्व अभिलेखों एवं फेरफार प्रविष्टियों की पुनः जांच, तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर एक समग्र एवं न्यायसंगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, ताकि विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है :

1. यह अनुशंसा की जाती है कि जिला कलेक्टर, पुणे प्रकरण में संबंधित भूमि (गट नं. 9 से 14, हिस्से नं. 1 से 23) के हस्तांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जांच कर यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 27.02.2004 का विक्रय विधिसम्मत प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं ग्राम सभा की स्वीकृति के अनुरूप किया गया था या नहीं, तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।

2. यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित राजस्व अभिलेखों, विक्रय विलेख (Sale Deed), नामांतरण (Mutation) प्रविष्टियों एवं स्वामित्व अभिलेखों का परीक्षण कर यदि कोई अनियमितता या धोखाधड़ी पाई जाती है, तो संबंधित प्रविष्टियों/विलेखों को निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. यह अनुशंसा की जाती है कि यदि भूमि अनुसूचित जनजाति की पाई जाती है तथा महाराष्ट्र राज्य की राजस्व नियमों / अधिनियम के अनुसार विक्रय पूर्व यदि राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर से आवश्यक अनुमति के बिना अवैध रूप से हस्तांतरित की गई है, तो संबंधित कानूनों के अंतर्गत भूमि का पुनर्स्थापन (Restoration) मूल अधिकारधारी/याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए।

4. यह अनुशंसा की जाती है कि पुलिस आयुक्त, पुणे प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं में दर्ज करते हुए, यदि धोखाधड़ी, जालसाजी अथवा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के हनन के तत्व पाए जाते हैं तो भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

धाराओं सहित अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. इस संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करते हुए आगामी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रकरण की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराएं।

6. यह अनुशंसा की जाती है कि आयोग का जांच दल द्वारा संबंधित स्थल का निरीक्षण पुलिस बल की उपस्थिति में किया जाए, ताकि तथ्यों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में दस्तावेज संख्या 1271-2004 की रद्दीकरण एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में श्री गणेश मधुकर पवार, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 30.06.2025 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला- पुणे

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	विद्युत जोशी	S.D.O. Pune	9767890389	
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Palande S K	Legal Assistance	3422011179	
2.	Palande D R	Legal Assistance	9325520558	
3.	Ganesh Pawar		9767631914	
4.	S.V Gupta			